बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 12/वि0–197/2024–109(आ0) पटना – 15 ,दिनांक :–13/07/26

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

Email

विषय – **वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु सर्पोट फंड के रुप में ₹ 10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र की विमुक्ति।**

प्रसंगः विभागीय संकल्प संख्या–6ए/वि01–10157/2017–2969 दिनांक–22.12.2017

उपर्युक्त विभागीय संकल्प द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के मुख्य शीर्ष के अधीन सर्पोट फंड के रुप में 2 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–6ए/वि01–10157/2017–2969 दिनांक–22.12.2017 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु सपोर्ट फंड में उपलब्ध राशि से निम्न तालिका के अनुसार **₹ 10.00 लाख (दस लाख रुपये)** मात्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत् विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	राशि निकासी हेतु प्राधिकृत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	कार्यपालक अभियंता से प्राप्त अधियाचना का पत्रांक एवं दिनांक	अधियाचित राशि (लाख में)	प्रस्तावित विमुक्त राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	नवादा	नवादा	पत्रांक–2511 दिनांक–06.07.26	15.00	10.00	दस लाख रुपये मात्र।

3. अनुरोध है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत् संबंधित प्रमंडल को उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित राशि विमुक्त की जाय।

अभय
13/07/2026

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :– 12/वि0–197/2024–109(आ0) पटना – 15 ,दिनांक :–13/07/26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(i) बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सर्पोट फंड के लेजर से प्रमण्डल को उपर्युक्त विमुक्त राशि से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु पर किया जायेगा।

(ii) इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हाल में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

(iii) इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अभय
13/07/2026
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :– 12/वि0–197/2024–109 (आ0) पटना – 15 ,दिनांक :– 13/07/26

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/ अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव कोषांग (मुख्यालय/ कार्य प्रबंधन)/ मुख्य अभियन्ता (उत्तर/दक्षिण बिहार)/ बजट पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4/ प्रशाखा–6/ प्रशाखा–12/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय
13/07/2026
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (का0प्र0)